दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

ISO 9001:2008:14001:2004 के तहत प्रमाणित

भारत 2023 INDIA

सामान्य प्रशासन विभाग,
श्रम कल्याण अनुभाग,
वेब साइट : www.deendayalport.gov.in
ई मेल: ravi.maheshwari@deendayalport.gov.in

प्रशासनिक कार्यालय भवन
भू तल,
गांधीधाम (कच्छ),
गुजरात - 370201.

सं.एलबी/डब्ल्युएफ/स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स/1160

दिनांक :21/03/2023

परिपत्र

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, गोपालपुरी में और उसके चारों ओर अलग-अलग छः प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जैसे (i) क्रिकेट ग्राउन्ड (ii) फुटबॉल ग्राउन्ड (ii) एथलेटिक ट्रैक (iv) इंडोर जिम्नेजियम और (v) ऑपन जिम्नेजियम, स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स में और (vi) ऑफिसर क्लब में लॉन टेनिस कोर्ट।

प्रतिदिन के आधार पर इन सुविधाओं के उपयोग का संचालन करने के लिए एवं किराया प्रभार के आधार पर आबंटन करने के लिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में पोर्ट कॉलोनी स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, गोपालपुरी में और उसके चारों ओर सुविधाओं को उपयोग करने हेतु आबंटन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्माण किया है जिसमें सामान्य नियम और शर्ते (संलग्नक-1) डेमेज/नो-डेमेज प्रमाणपत्र (संलग्नक -II) और विद्युत यूनिट खपत प्रमाणपत्र (संलग्नक -III) इसकी प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है।

दिनांक 18/10/16 के परिपत्र सं. एलबी/डबलयूएफ/स्पोर्टस कॉम्पलेक्स/905 और उपर्युक्त सुविधाओं के संबंध में जारी परिपत्र या कार्यालय आदेश के अधिक्रमण में यह मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाए।

प्राधिकार: मिसिल सं. एलबी/डबलयूएफ/स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स की टिप्पणी सं. 10/एनएस पर वि.स. तथा मु.ले.अ. महोदय के दिनांक 20/03/2023 की सहमति एवं अध्यक्ष महोदय के दिनांक 21/03/2023 के अनुमोदन से)

कार्मिक अधिकारी
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

सभी विभागाध्यक्ष- सभी कर्मचारियों में सादर परिचालनार्थ ।

व्यापार संवर्धन एवं जनसंपर्क अधिकारी: विस्तृत प्रचार हेतु।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ:

डीपीए के सभी ट्रेड यूनियन/ऑफिसर एसोसिएशन

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

अधि.अधि.(न.वि.)/अधि.अधि. (विद्युत) / ले.अ. (भु) / ले.अ.(एफ-48)/ले.अ. (रोकड़)

प्रतिलिपि: डीपीए की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वरिष्ठ डीडी (ईडीपी)

प्रतिलिपि:

अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव- अध्यक्ष महोदय के सादर सूचनार्थ ।

उपाध्यक्ष के निजी सचिव- उपाध्यक्ष महोदय के सादर सूचनार्थ ।

मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सहायक- मुख्य सतर्कता अधिकारी महोदय के सादर सूचनार्थ ।

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

ISO 9001:2008:14001:2004 के तहत प्रमाणित

सामान्य प्रशासन विभाग.,
श्रम कल्याण अनुभाग,
वेब साइट : www.deendayalport.gov.in
ई-मेल: ravi.maheshwari@deendayalport.gov.in

प्रशासनिक कार्यालय भवन,
भू तल,
गांधीधाम (कच्छ),
गुजरात - 370 201.

खेलों के लिए पोर्ट कॉलोनी, गोपालपुरी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और उसके आसपास सुविधाओं के उपयोग/आबंटन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

1. **खेलों के लिए सुविधाएं:** दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के पोर्ट कॉलोनी, गोपालपुरी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और उसके आसपास खेलों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं हैं:-

1.1 स्पोर्टस कॉम्पलेक्स

i) क्रिकेट ग्राउंड
ii) फुटबॉल ग्राउंड
iii) एथलेटिक ट्रैक
iv) ओपन जिम्नेजियम
v) इंडोर जिम्नेजियम

1.2 ऑफिसर क्लब

i) लॉन टेनिस कोर्ट

1.3 ये सुविधाएं मुख्य रूप से दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के कल्याण के लिए बनाई गई हैं; और इसलिए, दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण इन सुविधाओं के उपयोग के लिए पोर्ट कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को प्राथमिकता देगा। इसके अलावा, स्पोर्टस इवेंट को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्टस कॉम्पलेक्स में खेलों का आयोजन एवं संचालन करने के लिए, सरकारी संगठन को वरीयता दी जाएगी।

2. परिभाषाएं : मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के प्रयोजन के लिए -

i) 'पोर्ट कर्मचारी' का अर्थ उन लोगों से है, जो (i) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के कर्मचारी (डेली रेटेड श्रमिकों सहित) और उनके आश्रित; (ii) डीपीए के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी; और (iii) डीपीए में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारी और उनके आश्रित सदस्य।

ii) 'पोर्ट कॉलोनी के निवासी' का अर्थ उन व्यक्तियों से है, जो पोर्ट व्यवसाय के साथ संकलित है और गोपालपुरी या कंडला के पोर्ट कॉलोनी में रहते है।

iii) 'प्राइवेट पर्सन' का अर्थ उन व्यक्तियों से है, जो ऊपर क्रम संख्या (i) और (ii) में उल्लिखित नहीं है।

iv) 'पार्टी' अर्थात कोई भी व्यक्ति/ विशिष्ट व्यक्ति, फर्म, निकाय, एसोसिएशन, फेडरेशन, क्लब, स्कूल, कॉलेज, संस्थान, कंपनी, संगठन आदि।

v) 'सरकारी संगठन' अर्थात इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करने वाले संगठन शामिल है।

3. दैनिक आधार पर सुविधाओं का उपयोग :

3.1 **दैनिक आधार पर सुविधाओं के उपयोग का समय:** (i) पोर्ट कर्मचारियों; (ii) पोर्ट कॉलोनी के निवासी; और (iii) प्राइवेट व्यक्ति, के लिए दैनिक आधार पर, निम्नलिखित सुविधाओं के उपयोग के लिए निम्नानुसार हैं :-

क्रम सं.	सुविधाएं	प्रात: कालीन समय	सायंकालीन समय
1	नेट प्रैक्टिस पोर्शन ऑफ क्रिकेट ग्राउंड	07:00 बजे से 10:00 बजे तक	16:00 बजे से 19:00 बजे तक
2	फुटबॉल ग्राउंड	07:00 बजे से 10:00 बजे तक	16:00 बजे से 19:00 बजे तक
3	एथलेटिक ट्रैक	06:00 बजे से 08:00 बजे तक	18:00 बजे से 20:00 बजे तक
4	लॉन टेनिस कोर्ट	06:00 बजे से 08:00 बजे तक	18:00 बजे से 20:00 बजे तक
5	ओपन जिम्नेजियम	06:00 बजे से 08:00 बजे तक	18:00 बजे से 20:00 बजे तक
6	इंडोर जिम्नेजियम	**पुरूष :** 06:00 बजे से 09:00 बजे तक **महिलाएं :** 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	**महिलाएं :** 16:30 बजे से 18:00 बजे तक **पुरूष (मात्र अधिकारी) :** 18:30 बजे से 20:00 बजे तक **पुरूष :** 20:00 बजे से 21:30 बजे तक

टिप्पणी :

(क) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के पास स्थिति के आधार पर अलग-अलग स्लॉट आवंटित करने, बदलने, उपयोग के समय को कम करने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

(ख) नेट प्रैक्टिस पोर्शन ऑफ क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट ग्राउंड समाविष्ट नहीं है।

(ग) प्रात: कालीन समय में एथलेटिक ट्रैक को प्राइवेट पर्सन द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

(घ) इंडोर जिम्नेजियम को प्राइवेट पर्सन द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

3.2 **प्रतिदिन के आधार पर सुविधाओं को उपयोग करने के लिए शुल्क:** कोई भी व्यक्ति जो प्रतिदिन निम्नलिखित सुविधाओं में से किसी एक या सभी का लाभ उठाने का इच्छुक है, वह अधिशासी अभियंता (न.वि), डीपीए, के कार्यालय से निर्धारित मासिक शुल्क के भुगतान पर, जैसा कि नीचे दिया गया है और ऊपर दिखाए गए समय के दौरान ऐसी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए एंट्री पास प्राप्त कर सकता है: -

क्रम सं.	सुविधाएं	मासिक शुल्क (रुपए में)		
		पोर्ट कर्मचारी	पोर्ट कॉलोनी का निवासी	प्राइवेट पर्सन
1	**नेट प्रैक्टिस पोर्शन ऑफ क्रिकेट ग्राउंड**	नि:शुल्क	नि:शुल्क	3,000/-
2	**फुटबॉल ग्राउंड**	नि:शुल्क	नि:शुल्क	3,000/-
3	**एथलेटिक ट्रैक**	नि:शुल्क	नि:शुल्क	3,000/-
4	**लॉन टेनिस कोर्ट**	नि:शुल्क	नि:शुल्क	3,000/-
5	**ओपन जिम्नेजियम**	नि:शुल्क	नि:शुल्क	3,000/-
6	**इंडोर जिम्नेजियम**	200/-	250/-	अनुमति नहीं

टिप्पणी :

(क) मासिक शुल्क अप्रतिदेय है।

(क) पोर्ट व्यवसाय के वैध अधिकार की समाप्ति होने के मामले में पोर्ट कॉलोनी के निवासी का मासिक शुल्क जब्त तथा एंट्री पास अमान्य माना जाएगा। हालांकि यदि ऐसे निवासी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वे मासिक शुल्क के अंतर का भुगतान करके 'प्राइवेट पर्सन' के रूप में एंट्री पास प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) पोर्ट कर्मचारी पर आश्रित सदस्य की निर्भरता समाप्त होने की स्थिति में उसकी मासिक शुल्क जब्त तथा प्रवेश पास अमान्य माना जाएगा। हालांकि यदि ऐसे आश्रित सदस्य इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वे मासिक शुल्क के अंतर का भुगतान करके 'प्राइवेट पर्सन' के रूप में एंट्री पास प्राप्त कर सकते हैं।

3.3 एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात, अनुरोध किए जाने की स्थिति में, मासिक शुल्क के भुगतान किए जाने पर, ऊपर निर्धारित किए के अनुसार, एंट्री पास को रिन्यू किया जाएगा।

3.4 सुविधाओं का उपयोग इस शर्त के अधीन है कि एंट्री पास वैध हो तथा मांग किए जाने पर प्रस्तुत किया जाए और आगे की शर्त यह है कि एंट्री पास धारकों को इसके बाद निर्धारित सामान्य नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

3.5 एंट्री पास जारी करना पूरी तरह से दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के विवेक पर है।

3.6 किराया प्रभार के आधार पर आबंटन के दिन, दैनिक आधार पर उपयोग के लिए अनुमत सुविधाएं, एंट्री पास वालों के लिए बंद कर दी जाएंगी।

4. दैनिक आधार पर सुविधाओं का उपयोग करने हेतु अनुरोधों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया:

4.1 अनुमेय सुविधाओं के उपयोग के लिए एंट्री पास प्राप्त करने के लिए इच्छुक कोई भी व्यक्ति अधिशासी अभियंता (न.वि) के कार्यालय को लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है, जो इस एसओपी के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ऐसे अनुरोध पर कार्रवाई करेगा।

4.2 अनुमोदन प्राप्त होने पर, अधिशासी अभियंता (न.वि) का कार्यालय मासिक शुल्क के संग्रह के लिए सेल एकाउंट तैयार करेगा, जिस पर, जिस व्यक्ति ने अनुरोध किया है, वह डीपीए के नकद अनुभाग में मासिक शुल्क का भुगतान कर रसीद प्राप्त करेगा और इसे अधिशासी अभियंता (न.वि) के कार्यालय में जमा करेंगा, इसके बाद एंट्री पास जारी कर सकते हैं। अधिशासी अभियंता (न.वि) मासिक शुल्क की वसूली ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से करेंगे, जिसके लिए उनका कार्यालय सभी आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

4.3 अधिशासी अभियंता (न.वि) का कार्यालय, उन प्राइवेट पर्सन का विवरण, जिन्हें सुविधाओं के उपयोग के लिए एंट्री पास जारी किया गया है, कार्मिक अधिकारी के कार्यालय को वर्ष में दो बार, यानी प्रत्येक जनवरी के प्रथम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में देगा।

5. किराया प्रभार के आधार पर सुविधाओं का आबंटन/उपयोग:

5.1 **किराया प्रभार के आधार पर आबंटन पर सुविधाओं के उपयोग के लिए समय:** किराया शुल्क के आधार पर आबंटन पर निम्नलिखित सुविधाओं के उपयोग के लिए समय निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	सुविधाएं	दिन का समय	सायं/रात्रि का समय
1	क्रिकेट ग्राउंड	08:00 बजे से 18:00 बजे तक	18:00 बजे से 22:30 बजे तक
2	फुटबॉल ग्राउंड		
3	एथलेटिक ट्रैक		
4	लॉन टेनिस कोर्ट		
5	ओपन जिम्नेजियम		

टिप्पणी :

(क) उपयोग के समय में वास्तविक खेल का समय तथा स्वस्तिवाचन /समापन/पुरस्कार वितरण समारोह, यदि कोई हो, शामिल है; और दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के पास स्थिति के आधार पर उपयोग के समय को बदलने, घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

(ख) इंडोर जिम्नेजियम को किराया प्रभार के आधार पर आबंटित नहीं किया जाना है।

5.2 **किराया प्रभार के आधार पर सुविधाओं के आबंटन के लिए प्रभार:** दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण किराया प्रभार के आधार पर उपयोग के लिए सुविधाओं का आबंटन निम्नानुसार कर सकता है: -

क्रम सं.	सुविधाएं	सिक्योरिटी डिपॉजिट (रिफंडेबल)	दैनिक किराया प्रभार		विद्युत प्रभार
			दिन	संध्या /रात्रि	
1	क्रिकेट ग्राउंड	45,000/-	13,000/-	19,000/-	मीटर की वास्तविक रीडिंग के अनुसार
2	फुटबॉल ग्राउंड	40,000/-	12,000/-	18,000/-	
3	एथलेटिक ट्रैक	40,000/-	12,000/-	18,000/-	
4	लॉन टेनिस कोर्ट	40,000/-	12,000/-	18,000/-	
5	ओपन जिम्नेजियम	38,000/-	11,000/-	17,000/-	

टिप्पणी :

(क) फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, एथलेटिक ट्रैक और ओपन जिम्नेजियम के आबंटन के प्रभार में पवेलियन का निर्माण करना शामिल नहीं हैं; तथा लॉन टेनिस कोर्ट के आबंटन के प्रभार में अधिकारी क्लब का भवन और परिसर शामिल नहीं है।

(ख) दोनों सत्रों अर्थात 'दिन' और 'शाम/रात' में कोई एक सुविधा उसी दिन किराए पर देने की स्थिति में किराया प्रभार की गणना अलग से की जाएगी।

(ग) ओपन जिम्नेजियम का उपयोग लॉंग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉट-पुट और इसी तरह के अन्य खेलों के लिए भी किया जा सकता है।

5.3 ऊर्जा की खपत के लिए बिजली प्रभार, पीजीवीसीएल, राज्य डिस्कॉम प्राधिकरण द्वारा दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के लिए लागू प्रभार के अनुसार गणना की जाएगी।

5.4 कर (जैसे जीएसटी), जहां भी लागू हो, अतिरिक्त प्रभार लिया जाएगा।

5.5 इन सुविधाओं का उपयोग केवल उन खेलों के लिए किया जाएगा, जिसके लिए ये सुविधाएं चिन्हित की गई हैं।

5.6 सुविधाओं का आबंटन निर्धारित सामान्य नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

5.7 उपर्युक्त सुविधाओं का आबंटन दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के विवेकाधिकार पर है।

6. **सुविधाओं के आबंटन के लिए रियायतः** उपर्युक्त प्रभारों में निम्नलिखित को छोड़कर किसी भी पक्ष को कोई रियायत नहीं दी जाएगी:-

6.1 'दिन' सत्र में खेल आयोजित करने के लिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में परिचालित ट्रेड यूनियनों/अधिकारी संघ/अधिकारियों के क्लब/स्टाफ क्लब द्वारा किसी भी सुविधा के उपयोग के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट और विद्युत प्रभार जैसे कोई प्रभार नहीं लिए जाएंगे। एक समय में लगातार 9 (नौ) दिनों से अधिक की अवधि के लिए, लगातार दो दिनों के ब्रेक के साथ (अधिमानतः चौथे और पांचवें दिन), इस शर्त के अधीन कि दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण/केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (कंडला) के कर्मचारियों / अधिकारियों / श्रमिकों को शामिल करने वाले खेलों के लिए ऐसी सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा तथा ऐसे खेल व्यावसायिक लाभ के लिए अभिप्रेत नहीं हैं और आगे इस शर्त के अधीन हैं कि ट्रेड यूनियनों/अधिकारी संघ/अधिकारी क्लब/स्टाफ क्लब को इसके बाद निर्धारित सामान्य नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

6.1.1 बशर्ते कि, 'सायंकाल/रात्रि' सत्र या दोनों 'दिन और सायंकाल/रात्रि' में खेलों के आयोजन के लिए किसी भी सुविधा का उपयोग करने के लिए, ट्रेड यूनियन/अधिकारी संघ/अधिकारी क्लब/कर्मचारी क्लब को सिक्योरिटी डिपॉजिट (रिफंडेबल) में कोई रियायत नहीं दी जाएगी और विद्युत प्रभार भी वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार देय होंगे; हालांकि, किराया प्रभार नि:शुल्क होगा।

6.1.2 इसके अलावा ऊपर निर्धारित रियायतें प्रत्येक ट्रेड यूनियन/अधिकारी संघ/अधिकारी क्लब/स्टाफ क्लब के लिए प्रत्येक सुविधाओं के लिए लागू होंगे, भले ही खेल 'दिन' सत्र में आयोजित किए जाते हों या 'शाम/रात्रि' सत्र में या दोनों 'दिन और शाम/रात्रि' सत्र एक साथ, एक कैलेंडर वर्ष में केवल एक बार 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक; हालांकि, उन्हें बाद के सभी आबंटन उपर्युक्त खंड 5.2 में निर्धारित प्रभार के अनुसार होंगे।

6.2 सरकार द्वारा सुविधाओं के उपयोग के लिए किराया प्रभार में 50% रियायत दी जाएगी। दोनों सत्रों में खेल आयोजित करने के लिए संगठन, यानी 'दिन' सत्र और 'शाम/रात्रि' सत्र, लगातार 9 (नौ) दिनों से अधिक की अवधि के लिए, लगातार दो दिनों के ब्रेक के साथ (अधिमानतः चौथे और पांचवें दिन) , इस शर्त के अधीन कि सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों/कामगारों को शामिल करने वाले खेलों के लिए सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा। संगठन और ऐसे खेल व्यावसायिक लाभ के लिए अभिप्रेत नहीं हैं और आगे इस शर्त के अधीन हैं कि ऐसी सरकारी संगठनों को निर्धारित सामान्य नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। हालांकि, सिक्योरिटी डिपॉजिट (धन-वापसी योग्य) में कोई रियायत नहीं होगी; और विद्युत प्रभार भी वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार देय होगा।

6.2.1 बशर्ते कि ऊपर निर्धारित रियायतें प्रत्येक सरकारी संगठन पर सुविधाओं के उपयोग के लिए लागू होगी, भले ही खेल 'दिन' सत्र में या 'शाम/रात्रि' सत्र में या दोनों 'दिन और शाम/रात' सत्र एक साथ एक कैलेंडर वर्ष में केवल एक बार 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक; आयोजित किए जाते हों, हालांकि, उन्हें बाद के सभी आबंटन उपर्युक्त खंड 5.2 में निर्धारित प्रभार के अनुसार होंगे।

7. **सुविधाओं के आबंटन के दिनों की संख्या पर प्रतिबंध:** कोई भी सुविधा एक बार में लगातार 9 (नौ) दिनों से अधिक के लिए आबंटित नहीं की जाएगी; और एक समय में लगातार 2 (दो) रविवार से अधिक के लिए कोई सुविधा आबंटित नहीं की जाएगी। लगातार 9 (नौ) दिनों के बीच किन्हीं दो लगातार दिनों (अधिमानतः चौथे और पांचवें दिन), यदि वॉटरिंग, रोलिंग और अन्य आवश्यक रखरखाव कार्यों की आवश्यकता हो तो सुविधाओं के उपयोग की अनुमति दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण नहीं देगा; हालांकि, इन '2 (दो) नो यूज डे' के लिए कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

8. **सुविधाओं के उपयोग/आबंटन के लिए सामान्य नियम और शर्तें:** अनुबंध- I के अनुसार सुविधाओं के उपयोग/आबंटन के लिए सामान्य नियम और शर्तें, प्रतिदिन और किराया प्रभार के आधार पर होंगी। सामान्य नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण सिक्योरिटी डिपॉजिट को पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त कर सकता है; और भविष्य में उपयोग/आबंटन पर रोक लगाने की आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

9. **सुविधाओं के आबंटन/उपयोग की अनुमति देने के लिए प्राधिकार:** सुविधाओं के आबंटन के लिए प्राधिकार निम्नानुसार हैं:-

9.1 **दैनिक आधार पर सुविधाओं को उपयोग करने के लिए:** उप मुख्य अभियंता, डीपीए, उपरोक्त अनुमोदित मासिक शुल्क पर प्राइवेट व्यक्तियों के लिए एन्ट्री पास जारी करने एवं अनुमोदन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। और अधिशासी अभियंता (न.वि), डीपीए, ऐसे प्राइवेट व्यक्तियों को जारी किए गए एन्ट्री पास को मासिक शुल्क पर रिन्यू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

9.2 **किराया प्रभार के आधार पर सुविधाओं का आबंटन -**

(क) सचिव, डीपीए पूर्ण किराया प्रभार के आधार पर केवल 'दिन' के समय के लिए सुविधाओं के आबंटन को मंजूरी देने के लिए अनुमोदित सक्षम प्राधिकारी हैं।

(ख) उपाध्यक्ष, डीपीए 'सायं/रात्रि' और/या 'दिन और 'सायं/रात्रि' समय के लिए उपर्युक्त स्वीकृत पूर्ण किराया प्रभार के आधार पर सुविधाओं के आबंटन को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

(ग) उपाध्यक्ष, डीपीए सरकारी संगठन को उपर्युक्त स्वीकृत 50% रियायती प्रभार पर सुविधाओं के आबंटन को मंजूरी देने के लिए भी सक्षम प्राधिकारी हैं।, भले ही आबंटन 'दिन' और/या 'शाम/रात' और/या 'दिन और शाम/रात' के समय के लिए किया जाना हो।

(घ) अध्यक्ष, डीपीए, सुविधाओं के आबंटन को नि: शुल्क (सिक्योरिटी डिपॉजिट की वसूली के बिना) या जहां ट्रेड यूनियन / ऑफिसर्स एसोसिएशन / ऑफिसर्स क्लब / स्टाफ क्लब या सरकारी संगठन या पार्टी ने किसी भी या सभी प्रभारों/सुरक्षा जमा को पूरी तरह या आंशिक रूप से माफ करने की मांग की है, मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, भले ही आबंटन 'दिन' और/या 'शाम/रात' और/या 'दिन और शाम/ रात' के समय के लिए किया गया हो।

10. **किराया प्रभार के आधार पर सुविधाओं के आबंटन के लिए अनुरोधों का निपटान करने की प्रक्रिया:** आमतौर पर किए गए अनुरोधों को 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर निपटाया जाऐगा ; और अनुरोधों का निपटान करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाऐगा -

10.1 सुविधाओं के आबंटन की मांग करने वाला कोई भी पार्टी (ट्रेड यूनियन/अधिकारी संघ/अधिकारी क्लब/स्टाफ क्लब और सरकारी संगठन सहित) कार्मिक अधिकारी के कार्यालय को लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है, जो इस तरह के अनुरोध को एसओपी के अनुसार, अनुमोदन के लिए; सक्षम प्राधिकारी के पास भेजेगा-

(क) कार्मिक अधिकारी का कार्यालय मुफ्त में सुविधा आबंटित करने के लिए पत्र जारी कर सकता है, जहां सक्षम प्राधिकारी ने ऐसी सुविधा को मुफ्त में आबंटित करने के लिए अपनी मंजूरी दी है;

या

(ख) कार्मिक अधिकारी का कार्यालय उपर्युक्त अनुमोदित पूर्ण किराया प्रभार या रियायती प्रभार, जैसा मामला हो, का भुगतान करने के लिए ट्रेड यूनियन / अधिकारी संघ / अधिकारी क्लब / स्टाफ क्लब या सरकारी संगठन या पार्टी से अनुरोध करते हुए मांग पत्र जारी करेगा, जहाँ सक्षम प्राधिकारी ने ऐसी सुविधा आबंटित करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है; और उसके बाद कार्मिक अधिकारी का कार्यालय सेल एकाउन्ट तैयार कर सकता है ताकि वे भुगतान ऑनलाइन मोड या डेबिट/क्रेडिट कार्ड या चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 'दीनदयाल पोर्ट' के पक्ष में नक़द अनुभाग, डीपीए में भुगतान कर सकें और डीपीए के नकद अनुभाग द्वारा जारी रसीद की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर जिसमें भुगतान दर्शाया गया हो, तब कार्मिक अधिकारी का कार्यालय सुविधा आबंटन पत्र जारी करेगा ।

10.2 सिक्योरिटी डिपोजिट और किराया प्रभार का भुगतान आबंटन की तारीख से पहले करना होगा; तथा मांग पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर पार्टी द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में सुविधाओं के आबंटन हेतु मांग पत्र निरस्त माना जायेगा।

10.3 मांग पत्र और सुविधाओं के आबंटन पत्र की प्रतियां कार्मिक अधिकारी के कार्यालय द्वारा संबंधित कार्यालयों, जैसा मामला हो, यानी अधिशासी अभियंता (न.वि) और/या अधिशासी अभियंता (विद्युत) और/या लेखा अधिकारी (एफ-48) और/या लेखा अधिकारी (भुगतान), गांधीधाम और/या लेखा अधिकारी (नकद), के कार्यालयों को पृष्ठांकित की जाएंगी।

11. **विद्युत प्रभार की गणना**: कार्मिक अधिकारी के कार्यालय से आबंटन पत्र की रसीद प्राप्त होने पर, सुविधा की बुकिंग के दिन, खेल शुरू होने के समय से पहले, लाइटिंग चालू कर दी जाएगी। अधिशासी अभियंता (विद्युत) द्वारा प्राधिकृत एक अधिकारी, डीपीए बुकिंग के दिन लाइट चालू करने से पहले संबंधित ऊर्जा मीटर की प्रारंभिक रीडिंग लेगा तथा रिकॉर्ड करेगा; और खेल के पूरा होने पर, बुकिंग के दिन लाइट बंद कर दी जाएगी। ऐसे अधिकृत अधिकारी, बुकिंग के प्रत्येक दिन, लाइट बंद करने के बाद, प्रासंगिक ऊर्जा मीटर की अंतिम रीडिंग लेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। आबंटन की अवधि पूरी होने पर, अधिशासी अभियंता (विद्युत) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के कार्यालय द्वारा पीजीवीसीएल, राज्य डिस्कॉम प्राधिकरण द्वारा दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण को लागू प्रशुल्क प्रभार के अनुसार बिजली की खपत के लिए एक बिजली बिल उत्पन्न किया जाएगा।

12. **सुविधाओं के नुकसान का आकलन**: सुविधाओं या किसी भी लेख/उपकरण के आकस्मिक नुकसान या क्षति की स्थिति में, अधिशासी अभियंता (न.वि) और/या अधिशासी अभियंता (विद्युत) का कार्यालय, जैसा मामला हो, प्रचलित बाजार दर पर नुकसान का तुरंत आकलन कर सकता है, और कार्मिक अधिकारी के कार्यालय को लिखित रूप में इसकी सूचना देगा, जो सिक्योरिटी डिपोजिट या किसी अन्य माध्यम से इस तरह के नुकसान की वसूली कर सकता है। हालाँकि, यदि पार्टी ने दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की बिजली का उपयोग नहीं किया है; और फिर भी विद्युत वस्तुओं/उपकरणों को कोई क्षति या हानि प्रतीत होती है, अधिशासी अभियंता (न.वि) का कार्यालय नुकसान के आकलन के लिए तुरंत अधिशासी अभियंता (विद्युत) के कार्यालय को सूचित करेगा।

13. **न.वि.प्रभाग द्वारा डैमेज /नो डैमेज प्रमाणपत्र**: आबंटन की अवधि पूरी होने पर, अधिशासी अभियंता (न.वि) का कार्यालय या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी डैमेज /नो डैमेज प्रमाण पत्र **(संलग्नक -II)** कार्मिक अधिकारी के कार्यालय को आबंटन की अंतिम तिथि के 7 दिनों की अवधि के भीतर भेजेगा। 7 दिनों की अवधि के भीतर डैमेज /नो डैमेज प्रमाण पत्र कार्मिक अधिकारी के कार्यालय को भेजने का दायित्व अधिशासी अभियंता (न.वि) के कार्यालय का होगा।

14. **विद्युत प्रभाग द्वारा विद्युत यूनिट खपत प्रमाणपत्र**: आबंटन की अवधि पूरी होने पर पोर्ट की बिजली उपयोग के संबंध में तुरंत विद्युत यूनिट खपत प्रमाण पत्र **(संलग्नक - III)**, बिजली बिल के साथ, यह बताते हुए कि बिजली के सामान / उपकरण को कोई नुकसान नहीं हुआ है, अधिशासी अभियंता (विद्युत), डीपीए या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के कार्यालय द्वारा कार्मिक अधिकारी के कार्यालय में, आबंटन की अंतिम तिथि के 7 दिनों की अवधि के भीतर भेजेगा, जो सिक्योरिटी डिपोजिट से बिजली बिल की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। यदि पार्टी ने दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की बिजली का उपयोग नहीं किया है, तो इलेक्ट्रिक यूनिट खपत प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विद्युत यूनिट खपत प्रमाणपत्र विद्युत बिल सहित कार्मिक अधिकारी के कार्यालय को 7 दिवस की अवधि के अन्दर भिजवाने का दायित्व अधिशासी अभियंता (विद्युत) के कार्यालय का होगा।

15 . **सिक्योरिटी डिपोजिट की धन-वापसी:** अधिशासी अभियंता (न.वि) के कार्यालय से डैमेज /नो डैमेज प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर; यदि विद्युत यूनिट का खपत किया गया है, तो अधिशासी अभियंता (विद्युत) के कार्यालय से विद्युत यूनिट खपत प्रमाण पत्र और बिजली बिल प्राप्त होने पर, कार्मिक अधिकारी का कार्यालय, संबंधित प्रमाणपत्रों की प्राप्ति के 7 दिनों की अवधि के भीतर, वित्त विभाग को प्राप्त रसीद आगे प्रक्रिया करने के लिए भेज देगा, जो पार्टी द्वारा किया गया नुकसान या क्षति और विद्युत प्रभार, यदि कोई हो, के समायोजन के बाद सिक्योरिटी डिपोजिट की वापसी करेगा; तथा संबंधित रसीद प्राप्त होने पर, वित्त विभाग 7 दिनों की अवधि के भीतर, पार्टी को सिक्योरिटी डिपोजिट वापस कर देगा। जबकि अधिशासी अभियंता (न.वि) के कार्यालय से सिक्योरिटी डिपोजिट की वापसी के लिए अनिवार्य रूप से डैमेज/नो डैमेज प्रमाण पत्र आवश्यक है, अधिशासी अभियंता (न.वि) के कार्यालय से विद्युत यूनिट खपत प्रमाणपत्र की आवश्यकता केवल तभी होगी जब विद्युत यूनिट का खपत किया गया हो।

15.1 सिक्योरिटी डिपोजिट पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

15.2 सामान्य नियमों और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, भविष्य में एंट्री पास को रद्द करने और/या सुविधा के उपयोग/आबंटन से वंचित करने के साथ ही, सिक्योरिटी डिपोजिट को पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त कर किया जा सकता है, जैसा उचित महसूस किया जाएगा।

16. **सिविल संरचनाओं और बिजली के सामान/उपकरण का संचालन एवं अनुरक्षण**: अधिशासी अभियंता (न.वि), डीपीए का कार्यालय सुविधाओं की संरचनात्मक व्यवस्थआ, पानी देना, रोलिंग करना, चालू रखना तथा अनुरक्षण करना और सुविधाओं में और उसके आसपास सिविल अवसंरचनाओं की प्रतिदिन की सफाई के लिए जिम्मेदार होगा और अधिशासी अभियंता (विद्युत), डीपीए का कार्यालय बिजली के सामान/उपकरण के संचालन, अनुरक्षण और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

16.1 अधिशासी अभियंता (न.वि) और/या अधिशासी अभियंता (विद्युत), जैसा मामला हो, के कार्यालय कार्मिक अधिकारी के कार्यालय के परामर्श से सुविधाओं में और उससे संबंधित कार्यों को अंजाम देंगे; साथ ही ऐसे कार्यों के पूरा होने पर किए गए कार्यों या खरीदी गई वस्तुओं/उपकरणों का विवरण कार्मिक अधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे।

16.2 अधिशासी अभियंता (न.वि) और/या अधिशासी अभियंता (विद्युत) के कार्यालय, जैसा मामला हो, कार्मिक अधिकारी के कार्यालय को अग्रिम रूप से अनुरक्षण में हुई क्षति के बारे में सूचित करना है, जब भी आवश्यक लगे।

17. **सुविधा के अंतर्गत शामियाना/मंडप का निर्माण:** अधिशासी अभियंता (न.वि) का कार्यालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि सुविधा के खेल क्षेत्र का उपयोग शामियाना/मंडप, यदि कोई हो, या बैठने की व्यवस्था के निर्माण के लिए नहीं किया जाएगा; और शामियाना/मंडप, यदि आवश्यक हो, पार्टी द्वारा अपने जोखिम और लागत पर, निम्नलिखित निर्दिष्ट क्षेत्रों में बनाने की अनुमति दी जा सकती है; ऐसे शामियाने/मंडप का आकार उनके सामने दर्शाए गए आकार से अधिक नहीं होना चाहिए:-

क्रम सं.	सुविधाएं	शामियाना/मंडप के लिए सुविधा हेतु विनिर्दिष्ट क्षेत्र	शामियाना/मंडप का आकार
1	क्रिकेट ग्राउंड	लाइटिंग टॉवर नंबर 1 के पास क्रिकेट ग्राउंड के दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर	30 फीट X 15 फीट
2	फुटबॉल ग्राउंड	फुटबॉल ग्राउंड की पूर्वी तरफ की कंपाउंड दीवार के समानांतर	15 फीट X 9 फीट
3	एथलेटिक ट्रैक	लाइटिंग टॉवर नंबर 1 के नीचे एथलेटिक ट्रैक का पूर्वी भाग	30 फीट X 15 फीट
4	लॉन टेनिस कोर्ट	शामियाने/मंडप के लिए कोई जगह नहीं	लागू नहीं है
5	ओपन जिम्नेजियम	ओपन जिम्नेजियम का पश्चिमी छोर	30 फीट X 15 फीट

18. **सुविधाओं में अधिकृत व्यक्तियों की सुरक्षा और प्रवेश**: अधिशासी अभियंता (न.वि), डीपीए का कार्यालय सुविधाओं में और उसके आसपास सुरक्षा और एंट्री पास या आबंटन पत्र के अनुसार अधिकृत व्यक्तियों/पार्टियों के प्रवेश और आवाजाही के लिए जिम्मेदार होगा, जैसा मामला हो।

19. **अध्यक्ष, डीपीए के विशेष अधिकार:** अध्यक्ष, डीपीए के पास मासिक शुल्क को पूरी तरह या आंशिक रूप से माफ करने और/या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी सुविधा का नि:शुल्क उपयोग करने की अनुमति देने(सिक्योरिटी डिपोजिट की वसूली किए बिना); और किसी भी या सभी उपर्युक्त सुविधाओं को मुफ्त में आबंटित करने (सिक्योरिटी डिपोजिट की वसूली किए बिना) और/या किसी भी सुविधा के आबंटन के लिए, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, किसी भी या सभी प्रभार और सिक्योरिटी डिपोजिट को माफ कर, किसी भी पार्टी को देने का अधिकार सुरक्षित है. अध्यक्ष, डीपीए इस मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के सभी या किसी खंड को बदलकर, संशोधित कर सकते हैं, और/या ढील दे सकते हैं; और इस एसओपी के किसी खंड की व्याख्या के बारे में संदेह उत्पन्न होने की स्थिति में, मामला अध्यक्ष, डीपीए को भेजा जाएगा, उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

20. यह मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) उपर्युक्त सुविधाओं के संबंध में जारी परिपत्र संख्या एलबी/डब्ल्यूएफ/स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स/905 दिनांक 18/10/2016 और/या किसी अन्य आदेश/परिपत्र के अधिक्रमण में है।

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

ISO 9001:2008:14001:2004 के तहत प्रमाणित

सामान्य प्रशासन विभाग.,
श्रम कल्याण अनुभाग,
वेबसाइट : www.deendayalport.gov.in
Email: ravi.maheshwari@deendayalport.gov.in

प्रशासनिक कार्यालय भवन,
भूतल,
गाँधीधाम (कच्छ),
गुजरात - 370 201.

संलग्नक-I

पोर्ट कॉलोनी, गोपालपुरी में खेलों के लिए खेल परिसर में और उसके आसपास सुविधाओं के उपयोग/आबंटन के लिए सामान्य नियम और शर्तें

1) सुविधाओं का आबंटन उपलब्धता के अधीन है; दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा बिना कोई कारण बताए आबंटन किसी भी समय रद्द किया जा सकता है; और दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा इस तरह के निरस्तीकरण की स्थिति में, पार्टी को आनुपातिक रूप से प्रभार वापस कर दिया जाएगा।

2) पार्टी के पक्ष में किए गए सुविधा के आबंटन का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।

3) सुविधाओं के उपयोग के लिए आबंटन 'दिन' का समय 08:00 बजे से 18:00 बजे तक है; और 'शाम/रात' का समय 18:00 बजे से 22:30 बजे तक है; तथा सुविधाओं के आबंटन की तिथि (तारीखें) और/या समय पार्टी द्वारा नहीं बदला जाएगा; दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के पास अपने विवेकानुसार आबंटन की तिथि (तारीखों) और/या समय को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। उपयोग के समय में वास्तविक खेल का समय और विदाई/समापन/पुरस्कार वितरण समारोह, यदि कोई हो, शामिल है।

4) विद्युत प्रभार को छोड़कर सिक्योरिटी डिपोजिट सहित सभी प्रभार, पार्टी द्वारा नकद अनुभाग, डीपीए में ऑनलाइन भुगतान या डेबिट/क्रेडिट कार्ड या चेक या 'दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होंगा; और भुगतान दर्शाने वाली रसीद की प्रतिलिपि पार्टी द्वारा कार्मिक अधिकारी, डीपीए के कार्यालय में जमा करानी होगी।

5) सुविधाओं के आबंटन में पवेलियन/क्लब का निर्माण शामिल नहीं है।

6) व्यक्तियों/खिलाड़ियों को उचित जूते पहनने होंगे, उदाहरण- स्नीकर्स, एथलेटिक ट्रैक का उपयोग करते समय; और अन्य सुविधाओं का उपयोग करने वालों को सुविधा का उपयोग करते समय उपयुक्त जूते, यानी खेल/जॉगिंग/दौड़ना/कोर्ट के जूते पहनने होंगे; और इस खंड का उल्लंघन करने वालों को सुविधा का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7) ओपन जिम्नेजियम का उपयोग लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉट-पुट और इसी तरह के अन्य खेलों के लिए भी किया जा सकता है।

8) पार्टी द्वारा आबंटन रद्द करने की स्थिति में, सिक्योरिटी डिपोजिट को छोड़कर, भुगतान किए गए अन्य सभी प्रभार जब्त कर लिए जाएंगे।

9) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के पास प्रभारों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है; और यदि संशोधित किया जाता है, तो पार्टी प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

10) क्रिकेट के खेल के लिए, टर्फ विकेट के उपयोग की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब खेल को सीजन/लेदर बॉल द्वारा खेला जाना हो; और यदि खेल टेनिस बॉल से खेला जाना है, तो एस्ट्रो टर्फ विकेट का उपयोग करना होगा।

11) यह सुनिश्चित करना पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि सुविधाएँ और/या उससे संबंधित किसी वस्तु/उपकरण को कोई नुकसान न हो; और नुकसान या क्षति की स्थिति में, दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रचलित बाजार दर पर नुकसान या क्षति की कीमत सिक्योरिटी डिपोजिट से वसूल किया जाएगा; और यदि नुकसान या क्षति सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि से अधिक है, तो पार्टी किसी भी अन्य माध्यम से अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। उस पार्टी द्वारा, जिसे सुविधा नि:शुल्क आधार पर और/या रियायती प्रभार के आधार पर और/या आंशिक प्रभार के आधार पर आबंटित की गई है, सुविधाओं के नुकसान या क्षति होने की स्थिति में, यह उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद प्रचलित बाजार दर पर नुकसान या क्षति की कीमत का भुगतान करें।

12) सुविधाओं का उपयोग कुछ संबंधित खेलों के लिए किया जाएगा, जिसके लिए संबंधित सुविधाएं उपलब्ध है; और पार्टी उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सुविधा और उसके परिसर का उपयोग नहीं करेगी जिसके लिए इसे आबंटित किया गया है।

13) शामियाना/मंडप, यदि कोई हो, या बैठने की व्यवस्था के निर्माण के लिए खेल क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा; और शामियाना/मंडप, यदि आवश्यक हो, पार्टी द्वारा अपने जोखिम और लागत पर, अधिशासी अभियंता (न.वि), डीपीए के कार्यालय द्वारा और उसके मार्गदर्शन में आबंटित निम्नलिखित निर्दिष्ट क्षेत्र में बनाया जा सकता है; और ऐसे शामियाने/मंडप का आकार उनके सामने दर्शाए गए आकार से अधिक नहीं होगा:-

क्रम. सं.	सुविधाएं	सुविधाओं में शामियाना/मंडप के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र	शामियाना/मंडप का आकार
1	क्रिकेट ग्राउंड	लाइटिंग टॉवर नंबर 1 के पास क्रिकेट ग्राउंड के दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर	30 फीट X 15 फीट
2	फुटबॉल ग्राउंड	फुटबॉल ग्राउंड की पूर्वी तरफ की कंपाउंड दीवार के समानांतर	15 फीट X 9 फीट
3	एथलेटिक ट्रैक	लाइटिंग टॉवर नंबर 1 के नीचे एथलेटिक ट्रैक का पूर्वी भाग	30 फीट X 15 फीट
4	लॉन टेनिस कोर्ट	शामियाने/मंडप के लिए कोई जगह नहीं	लागू नहीं
5	ओपन जिम्नेजियम	ओपन जिम्नेजियम का पश्चिमी छोर	30 फीट X 15 फीट

14) सुविधा क्षेत्र के अंदर खाना पकाना, परोसना और खाना मना है; हालांकि, पेय पदार्थ, यदि आवश्यक हो, अधिशासी अभियंता (न.वि), डीपीए के कार्यालय द्वारा आबंटित क्षेत्र में परोसा एवं खाया जा सकता है; परंतु यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पार्टी की होगी कि कचरे के लिए कूड़ेदान का उपयोग किया जाए; और कचरे को पोर्ट कॉलोनी के बाहर उचित स्थान पर निपटान के लिए ले जाया जाए। सुविधाओं का उपयोग पिकनिक और/या मनोरंजन के उद्देश्य और/या सामाजिक समारोहों के लिए नहीं किया जाएगा; तथा सुविधा का उपयोग केवल खेलों के लिए होगा, जिसके लिए यह आबंटित किया गया है।

15) यह सुनिश्चित करना पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि आबंटन की अवधि के दौरान किसी भी लाउडस्पीकर का उपयोग सुविधा क्षेत्र में नहीं किया जाए। तथापि, पार्टी यदि चाहे तो अधिशासी अभियंता (विद्युत), डीपीए के कार्यालय के निर्देशों के तहत अनुमेय डेसिबल स्तर पर क्रिकेट ग्राउंड में प्रदान की गई सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग कर सकती है।

16) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, बिजली की निष्फलता होने पर, यदि कोई हो, जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, और इस संबंध में कोई भी दावा, जो भी हो, पर विचार नहीं किया जाएगा।

17) बिजली चली जाने की स्थिति में, पार्टी को जेनरेटर सेट और अन्य प्रासंगिक उपकरणों/मशीनों की व्यवस्था अपने खर्चे और जोखिम पर करनी होगी। जेनरेटर सेट को सुविधा क्षेत्र में रखने की अनुमति नहीं है; हालाँकि, इसे अधिशासी अभियंता (विद्युत), डीपीए के कार्यालय द्वारा आबंटित क्षेत्र में रखा जा सकता है।

18) पार्टी अपने लागत और जोखिम पर पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, स्ट्रेचर आदि की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होगी।

19) यह सुनिश्चित करने के लिए पार्टी जिम्मेदार होगी कि सुविधा में किसी भी प्रकार के काम में शामिल होने वाले कर्मचारी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग करे और सुविधा क्षेत्र में बिजली के उपकरणों के काम के लिए नियुक्त कार्मिको के पास वैध लाइसेंस हों।

20) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पार्टी की होगी कि सुविधा का उपयोग करते समय पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाए; तथा किसी भी व्यक्ति को चोट (घातक सहित) और/या व्यक्तिगत संपत्ति या सुविधा को नुकसान पहुंचाने वाली दुर्घटनाओं/आग/बिजली के झटके के लिए पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

21) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पार्टी की होगी कि सुविधा में और उसके आसपास सार्वजनिक शांति बनी रहे; तथा खेल, स्कूली बच्चों, सरकारी कार्यालय और पोर्ट अस्पताल के मरीजों सहित पोर्ट कॉलोनी के निवासियों के लिए असुविधा या उपद्रव का कारण नहीं बनना चाहिए।

22) सुविधा में और उसके आसपास शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए पार्टी जिम्मेदार होगी।

23) यह सुनिश्चित करना पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि आयोजित किए जाने वाले खेलों का उद्देश्य किसी भी तरह से किसी भी धर्म या धार्मिक भावनाओं, विश्वासों या किसी भी व्यक्ति या वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, अपमान करना नहीं है। .

24) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण पार्टी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए गए व्यक्तिगत सामान, क़ीमती सामान या धन, यदि कोई हो, के नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

25) सुविधा क्षेत्र में और उसके आस-पास मादक नशीला पदार्थ, धूम्रपान और/या तम्बाकू चबाना प्रतिबंधित है।

26) सुविधा में और उसके आसपास पटाखे जलाने की अनुमति नहीं है।

27) सुविधा क्षेत्र में और उसके आसपास प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित है।

28) पार्टी अपने खर्चे और जोखिम पर वाहनों की पार्किंग, सुरक्षा और बैठने की व्यवस्था आदि के लिए जिम्मेदार होगी।

29) सिक्योरिटी डिपोजिट पर कोई ब्याज देय नहीं होगा; और सिक्योरिटी डिपोजिट आबंटन की अंतिम तिथि के 30 दिनों की अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा।

30) अगर आबंटन की अवधि के दौरान सुविधाओं को नुकसान होता है और/या पार्टी ने सामान्य नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया है, तो इस तरह की क्षति/हानि/जुर्माना सिक्योरिटी डिपोजिट और/या किसी अन्य माध्यम से वसूल किया जाएगा। पोर्ट की बिजली उपयोग करने के मामले में पीजीवीसीएल, राज्य डिस्कॉम प्राधिकरण द्वारा डीपीए के लिए लागू टैरिफ के अनुसार वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत प्रभार, सिक्योरिटी डिपोजिट से कटौती की जाएगी।

29) पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सांविधिक आदेशों, यदि कोई हो, के अनुसार केवल अनुमत सभा करने की अनुमति है; और उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए लागू कानूनों और आदेशों, यदि कोई हो, का पालन करने के लिए पार्टी जिम्मेदार होगी।

30) पार्टी खेल आयोजित करने और/या सुविधा का उपयोग करने के लिए, यदि लागू होता हो तो, सांविधिक अनुमति/मंजूरी प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगी।

31) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण आबंटन की अवधि के दौरान किसी भी समय सुविधा का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगी।

32) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा बनाएं गए नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए पार्टी उत्तरदायी होगी।

33, सुविधाओं का उपयोग करने के लिए सामान्य नियम और शर्तें दोनों, दैनिक आधार तथा किराया प्रभार के आधार पर लागू होंगी; तथा सामान्य नियमों और शर्तों का उल्लंघन होने पर, दैनिक आधार और किराया प्रभार आधार पर जारी किए गए एंट्री पास को रद्द किया जा सकता है, आबंटन के समय लिये गये सिक्योरिटी डिपोजिट को पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त किया जा सकता है और भविष्य में सुविधा के उपयोग/आबंटन पर रोक लगाया जा सकता है।

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

ISO 9001:2008:14001:2004 **के तहत प्रमाणित**

<u>संलग्नक</u> **-II**

<u>सिविल अभियंता विभाग</u>

(न.वि. प्रभाग)

सं. टीडी/___________________ दिनांक :________________.

विषय : डैमेज / नो डैमेज प्रमाणपत्र -

____को सुविधा का आबंटन किया गया।

संदर्भ : पीओ'एस पत्र सं.. एलबी/डब्ल्यूएफ/__________दिनांक_____________.

यह प्रमाणित किया जाता है कि आबंटन की अवधि के दौरान पार्टी द्वारा सुविधाओं को कोई नुकसान या हानि नहीं पहुंचाई गई है; तथा पार्टी ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के सामान्य नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है।

अथवा

यह प्रमाणित किया जाता है कि आबंटन की अवधि के दौरान सुविधाओं को हुई क्षति का मुल्य रु __________________________(रु.____मात्र) निर्धारित किया गया है, जिसका विवरण संलग्नक (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित है।

टिप्पणी : जो लागू न हो, निकाल दें।

अधिशासी अभियंता (न.वि)
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

<u>कार्मिक अधिकारी</u>

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

ISO 9001:2008:14001:2004 **के तहत प्रमाणित**

संलग्नक-**III**

यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग

(विद्युत प्रभाग)

सं.. ईएल/_______________ दिनांक :______________.

विषय : **विद्युत युनिट खपत प्रमाण पत्र -**
______________________________को सुविधा का आबंटन किया गया।.

संदर्भ :पीओ'एस पत्र सं.. एलबी/डब्ल्यूएफ/_______दिनांक___________.

यह प्रमाणित किया जाता है कि पार्टी ने सुविधा के आबंटन की अवधि के दौरान दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की बिजली का खपत किया है; और प्रासंगिक ऊर्जा मीटर की अंतिम रीडिंग के आधार पर, रुपये_______________(रुपये_________________________मात्र) की राशि, बिजली बिल (प्रतिलिपि संलग्न)के अनुसार ऊर्जा खपत के लिए पीजीवीसीएल, राज्य डिस्कॉम प्राधिकरण द्वारा दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण को प्रभार्य लागू प्रभार के अनुसार पार्टी से वसूल किया जाना है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पार्टी द्वारा बिजली के सामान/सुविधाओं के उपकरणों को आबंटन की अवधि के दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ है।

अधिशासी अभियंता (विद्युत)
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

कार्मिक अधिकारी